सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अपील वादी
(अपील) 14/7/22

पत्रावली प्रेषक श्री वकील उपायुक्त उपखण्ड अधिकारी प्रथम के वाद के तहसीलदार जमाबन्दी पत्रावली संख्या 25/2022 द्वारा सीमा की पत्थरगढ़ी पत्थर रखे जाने पर तहसीलदार सिविल पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान व तहसीलदार के जवाब व प्रार्थी की बहस सुनी। प्रकरण के अभिलेख अवलोकन की उपखण्ड अधिकारी प्रथम ने इसकी एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है तहसीलदार (सू.का.) जयपुर के आदेश क्रमांक 12/117 रकबा 1.2899 व ख.नं. 41 रकबा 2.5788 के बीच सीमाज्ञान नामक तहसीलदार कार्यालय की अधिसूचना के जरिये पत्थरगढ़ी पत्थर लगाई गई। एक पत्थरगढ़ी पर मौजूद लोगों ने पहले कहा था कि छापा प्रति वाद के साथ है परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा की गई पत्थरगढ़ी प्रार्थी की भूमि में से 4-5 फीट अन्दर की गई है जिससे उसके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसमें वकील प्रार्थी की बहस व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि भूमि 12/117 रकबा की भूमि है। जिसमें तहसील द्वारा नापजब कार्यालय के जरिये पत्थरगढ़ी मौके पर मौजूद लोगों के समक्ष पुख्ता सीमाज्ञान [illegible] के पत्थरगढ़ी की गई [illegible] उस पत्थरगढ़ी अनुसार [illegible] अपने अपने हिस्से पर काबिज रहने, वाद के निर्णय तक पालन करते हुए [illegible] के कब्जे में [illegible] किसी [illegible] 14/7/22 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arsideep Brar
Date: 2022.09.09 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर